न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2024 (डूँगरपुर डिक्री)

1. श्री धना पूत्र दुबला उर्फ दूबल भगोरा, जाति मीणा
2. श्री मोहन पूत्र दुबला उर्फ दूबल भगोरा, जाति मीणा
3. श्री राजू पूत्र दुबला उर्फ दूबल भगोरा, जाति मीणा
4. श्रीमती गोतमी पत्नी दुबला उर्फ दूबल भगोरा, जाति मीणा,
   सर्व निवासी – रोयडा, तहसील चिखली, जिला डूँगरपुर, राजस्थान।

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री कारीया पिता लाडजी भगोरा, जाति मीणा
2. श्री दीवण पिता धनजी भगोरा, जाति मीणा
3. श्री विष्णु पिता लालशंकर भगोरा, जाति मीणा
4. श्रीमती लक्ष्मी पति लालशंकर भगोरा, जाति मीणा,
   सर्व निवासी – रोयडा, तहसील चिखली, जिला डूँगरपुर, राजस्थान।
5. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिखली जिला डूँगरपुर, राजस्थान।

.................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधि. चिखली
दि. 12–07–2024 प्र0सं0 06/2019

———/———

उपस्थित :– 1. श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय दिनांक 17–06–2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक एक ही परिवार के सदस्य होकर मूलपुरूष नानजी के वारिसान [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:50 IST
Reason: SelfAttested

1 से 4 के संयुक्त कब्जे काश्त की विरासती आराजी ग्राम रोयडा जमाबन्दी संवत् 2070–2073 मे खाता संख्या 57 खसरा नंबर क्रमशः 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379, व 380 कुल किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजी संवत् 2008 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पूर्वज लाडजी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वज हलिया के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी जिसके नंबरो का संवत् 2013 मे परिवर्तन हुआ और नये नंबर 338, 353, 354, 355/1, 355/2, 356, 378, 379 व 380 कायम हुए जिन्हे सेटलमेंट कर्मियों ने गलती से अकेले हलिया के पुत्र मावजी के नाम दर्ज कर दी जिससे सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी मावजी पिता हलिया के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जिसकी जानकारी वादीगण को लोन लेने हेतु अपने खाते की नकल निकलवाने पर हुई। तदुपरान्त् वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण नहीं माने तथा जमीन में हिस्सा देने से मना करने लगे। उक्त आराजियात भूमि जरीये इन्द्राज दुरूस्ती वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के साथ दर्ज कर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर दिनांक 09–05–2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया।

3. उक्त वाद को दोतरफा करने हेतु प्रतिवादी संख्या 4 से 9 द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31–08–2016 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा अपील राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण विधिवत् सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

4. न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 12–07–2024 को निर्णय पारित करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 6 से 9 द्वारा यह अपील दिनांक 26–07–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जोशी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टगण ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. को किस तरह से निर्णित किया जायेगा ओर संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी उस पर विचार किये बिना संशोधित वाद पेश करने की स्वीकृति देकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन प्रकरण मे निर्णय उनवान मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम यथावत बना हुआ है जो साबित करता है की निर्णय पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धना व मोहन का नाम हटाया जाना आवश्यक था, क्योंकि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है जो स्वयं पूर्व में भी अपील न्यायालय ने भी माना है। वादीगण ने संवत् 2001 की जमाबंदी प्रस्तुत कर उसे प्रदर्शित कराया है, लेकिन संवत् 2019 की जमाबंदी प्रदर्शित नही करायी क्योंकि उपरोक्त भूमि पर कब्जा सिर्फ अपीलान्ट के पूर्वज हलिया व उसके पुत्र दूबल व मावजी का ही था, जो इस बात से साबित होता है कि खसरा नंबर 250 व 268 का संवत् 2008 की जमांबदी में कही भी अंकन नहीं हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयां सही रूप से विरचित नहीं की गई है तथा अपीलान्टगण का कब्जा होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:50:50 IST
Reason: SelfAttested

वाद स्वीकार करने मे भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

7. विद्वान पैरोकार सरकार ने प्रकरण मे राजकीय हित निहित नही होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रदर्श पी. 1 खतौनी आसामीवार महकमा बंदोबस्त रियासत डूँगरपुर संवत् 2002 से 2011 में प्रतिवादी/अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी हलिया व वादीगण के पूर्वाधिकारी लाडजी पिता नानजी का संयुक्त रूप से नाम दर्ज है, जबकि संवत् 2013 में हलिया के पुत्र मावजी का नाम ही अंकित किया गया है। प्रदर्श पी. 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबरों से हाल आराजी नंबर बनना स्पष्ट है। हाल सेटलमेंट में वादीगण के पूर्वाधिकारी लाडजी का नाम अंकित नहीं किया गया है। मावजी लाऔलाद फौत होने से उसके भाई दूबल के वारिस अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 6 से 9 का नाम अंकित कर दिया गया है, जबकि बिना किसी सक्षम आदेश के इस प्रकार के इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तनकीवार विवेचन में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुये वादीगण को विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते है।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

धना पूत्र दुबला उर्फ दूबल भगोरा
निवासी रोयडा, तहसील चिखली
जिला डूँगरपुर व अन्य

बनाम

कारीया पिता लाडजी भगोरा
निवासी रोयडा, तहसील चिखली
जिला डूँगरपुर व अन्य

अपील नं॰...**07 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....चिखली..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....12**.....माह.....**07**.....**.....2024.....**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**17**.....माह.....**06**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेश जोशी** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पैरोकार सरकार** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**17**.....माह.....**06**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:30:50 IST
Reason: SelfAttested